छत्तीसगढ़

आय–व्ययक

संक्षेप में

2019–2020

वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
महानदी भवन,

छत्तीसगढ़

आय–व्ययक

संक्षेप में

2019–2020

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ आय–व्ययक संक्षेप में, 2019–2020 मुख्य आय–व्ययक को सरलतापूर्वक स्थूल रूप से समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें राज्य विधान सभा के समक्ष 8 फरवरी 2019 को प्रस्तुत छत्तीसगढ़ राज्य के वार्षिक बजट वर्ष 2019–2020 की आय–व्ययक की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में तालिकाओं एवं चित्रलेखों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2019–2020 में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यय की राशि के माध्यम से विभिन्न शासकीय गतिविधियों को दी गई प्राथमिकता को प्रस्तुत पुस्तिका में संक्षेप में दर्शाया गया है। साथ ही, वर्ष 2019–2020 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों पर व्यय की पूर्ति हेतु विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले राजस्व को भी संक्षेप में दिया गया है। इसमें वर्ष 2017–2018 (लेखा), 2018–2019 पुनरीक्षित अनुमान (पु.अ.) तथा वर्ष 2019–2020 के आय–व्ययक अनुमान (आ.अ.) दिये गये हैं।

विषय सूची

प्रस्तावना पृष्ठ

1. बजट एक नजर में 2019–2020	02
2. राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व लेखे पर व्यय, 2019–2020	04
3. राजस्व लेखे पर आधिक्य या घाटा	06
4. करों और शुल्कों से प्रमुख शीर्षवार राजस्व	08
5. स्त्रोतवार कर–भिन्न राजस्व	10
6. केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान	12
7. राजस्व लेखे पर प्रमुख शीर्षवार व्यय	14
8. प्रमुख शीर्षवार पूँजीगत व्यय	20
9. राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	22
10. नवीन व्यय	24
11. लोक ऋण	26
12. लोक लेखा	28
13. शुद्ध लेन–देन के परिणाम	30
14. शासकीय प्रतिभूतियों में वित्तीय विनियोजन	32
15. शासकीय प्रत्याभूतियाँ	34
16. वर्ष 2019–2020 के लिए परिव्यय	36
17. वर्ष 2019–2020 के लिए व्यय हेतु संसाधन	38

बजट आय–व्ययक

2019–2020

एक नजर में

बजट एक नजर में 2019—2020

वर्ष 2019—2020 में राज्य की कुल आय 91542.25 करोड़ रूपये अनुमानित है। इस आय में राजस्व आय 79746.00 करोड़ रूपये, लोक ऋण (शुद्ध) 10913.25 करोड़ रूपये, ऋण और अग्रिम 283.00 करोड़ रूपये, तथा लोक लेखा (शुद्ध) 600.00 करोड़ रूपये सम्मिलित हैं। बजट घाटा 632.65 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। राज्य की आय की तुलना में कुल व्यय 91542.25 करोड़ रूपये अनुमानित है, जिसमें राजस्व व्यय 78594.53 करोड़ रूपये, पूँजी व्यय 12109.61 करोड़ रूपये, तथा ऋण और अग्रिम 205.46 करोड़ रूपये के व्यय सम्मिलित हैं। राज्य का बजट निम्नानुसार है:—

(करोड़ रूपयों में)

विवरण	आय	व्यय
1	2	3
1— राजस्व	79746.00	78594.53
2— पूँजी	0.00	12109.61
3— लोक ऋण (शुद्ध)	10913.25	0.00
4— ऋण और अग्रिम	283.00	205.46
5— लोक लेखा (शुद्ध)	600.00	0.00
6— बजट घाटा	0.00	632.65
योग	**91542.25**	**91542.25**

बजट एक नजर में 2019–2020

(प्रतिशत में)

आय

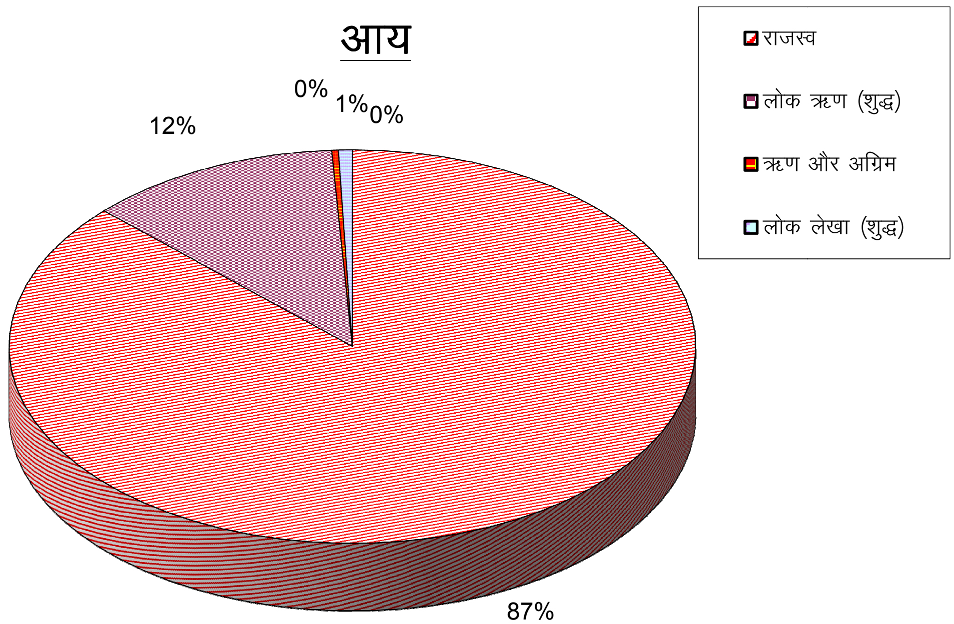

व्यय

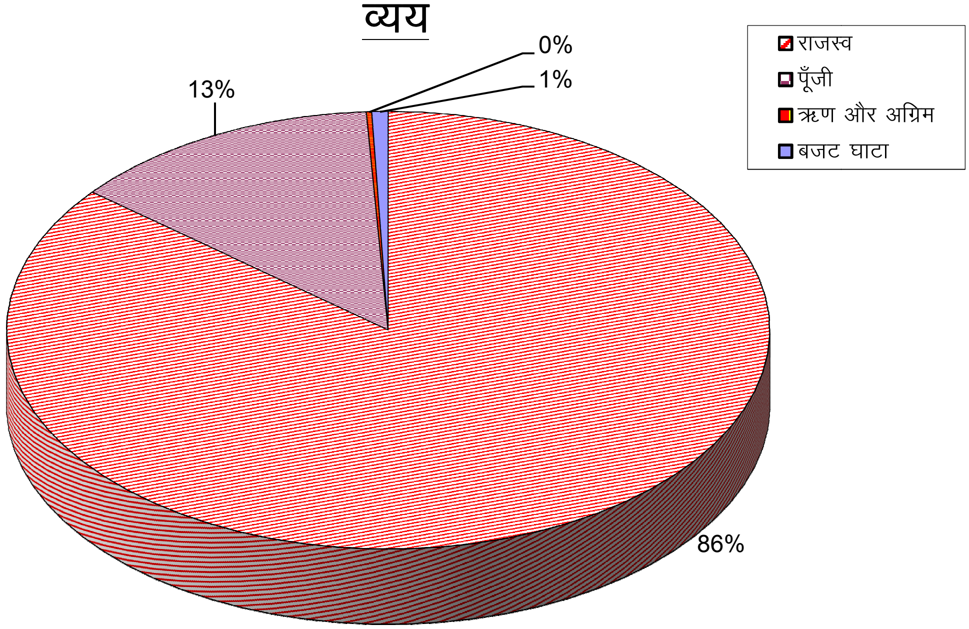

राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व लेखे पर व्यय, 2019–2020

अनुमान है कि वर्ष 2019–2020 में छत्तीसगढ़ राज्य को राजस्व प्राप्तियाँ 79746.00 करोड़ रूपये और राजस्व लेखे पर व्यय 78594.53 करोड़ रूपये होगा। इस प्रकार, राज्य का आय–व्ययक 1151.47 करोड़ रूपयों का राजस्व शेष दर्शाता है।

पार्श्व पृष्ठ पर दिये गये चित्रलेख में राज्य के वर्ष 2019–2020 के आय–व्ययक के प्रमुख राजस्व स्त्रोत तथा व्यय के प्रस्तावित शीर्ष दिखलाये गये हैं। राज्य के प्रमुख कर हैं, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, राज्य उत्पाद शुल्क तथा विक्री, व्यापार, आदि पर कर हैं, जिनका सम्मिलित रूप से राज्य के कुल राजस्व में लगभग 32.86 प्रतिशत का योगदान है। कर–भिन्न राजस्व के राज्यीय स्त्रोतों में प्रमुख हैं – अलौह धातु खनन, धातुकर्म उद्योग तथा अन्य समस्त उद्योग एवं सिंचाई (वृहद, मध्यम तथा लघु)। इनसे राज्य के कुल राजस्व का क्रमशः 8.16 तथा 1.41 प्रतिशत भाग प्राप्त होगा। केन्द्रीय शासन से प्राप्त सहायक अनुदान कुल राजस्व का 25.17 प्रतिशत है। व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शीर्ष कृषि और सम्बद्ध क्रिया कलाप (ग्रामीण विकास सहित) तथा शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति है। इस पर वर्ष 2019–2020 में प्रस्तावित राजस्व व्यय का क्रमशः 31.57 प्रतिशत तथा 19.86 प्रतिशत खर्च किया जायेगा। चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आवास और शहरी विकास तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण एवं पोषाहार को भी काफी महत्व दिया गया है। वर्ष 2019–2020 में इन मदों पर क्रमशः 5.54 प्रतिशत, 4.76 प्रतिशत तथा 3.90 प्रतिशत राशि व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। सामने वाले पृष्ठ पर राजस्व लेखे के आय–व्ययक के प्रमुख घटक दर्शाये गये हैं।

छत्तीसगढ़ आय–व्यय

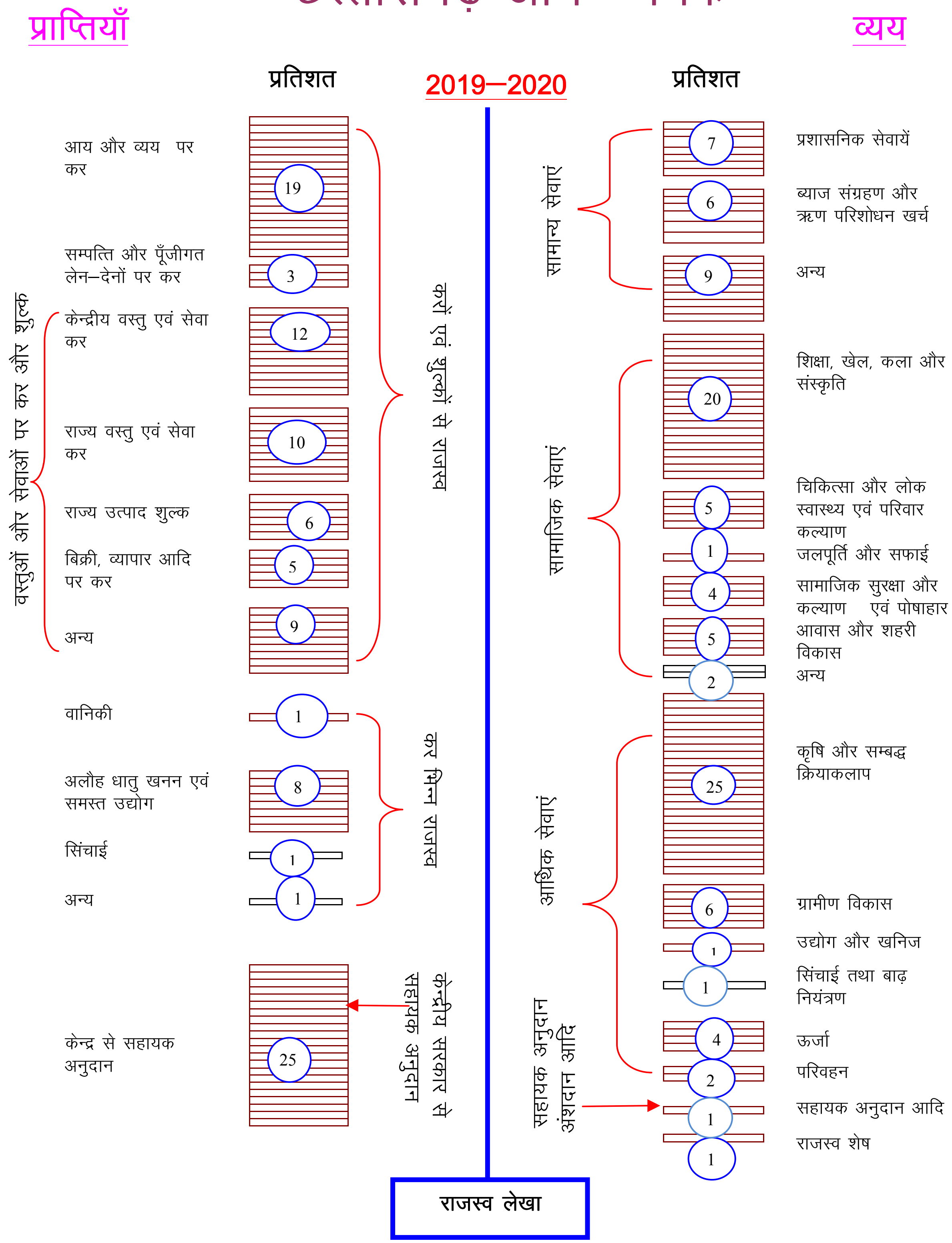

राजस्व लेखे पर आधिक्य या घाटा

निम्न तालिका में छत्तीसगढ़ के वर्ष 2019–2020 के राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व लेखे पर व्यय के प्रमुख मदों को दर्शाया गया है :–

(करोड़ रूपयों में)

शीर्ष	2017–2018 (लेखा)	2018–2019 (पु.अ.)	2019–2020 (आ.अ.)
1	2	3	4
राजस्व प्राप्तियाँ :–			
1. करों एवं शुल्कों से राजस्व	40649.49 (68.15)	46415.49 (62.70)	50847.00 (63.76)
2. कर–भिन्न राजस्व	6340.42 (10.63)	8200.00 (11.08)	8825.00 (11.07)
3. केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान	12657.17 (21.22)	19413.00 (26.22)	20074.00 (25.17)
योग	**59647.08 (100.00)**	**74028.49 (100.00)**	**79746.00 (100.00)**
राजस्व व्यय :–			
राजस्व व्यय	56229.75 **(100.00)**	80370.05 **(100.00)**	78594.53 **(100.00)**
योग	**56229.75 (100.00)**	**80370.05 (100.00)**	**78594.53 (100.00)**
आधिक्य (+) या घाटा (–)	**3417.33**	**(–)6341.56**	**1151.47**

टीपः– कोष्ठक में दिये गये अंक कुल राजस्व प्राप्तियाँ एवं कुल राजस्व व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं।

राजस्व लेखे पर प्राप्तियाँ तथा व्यय

प्राप्तियाँ

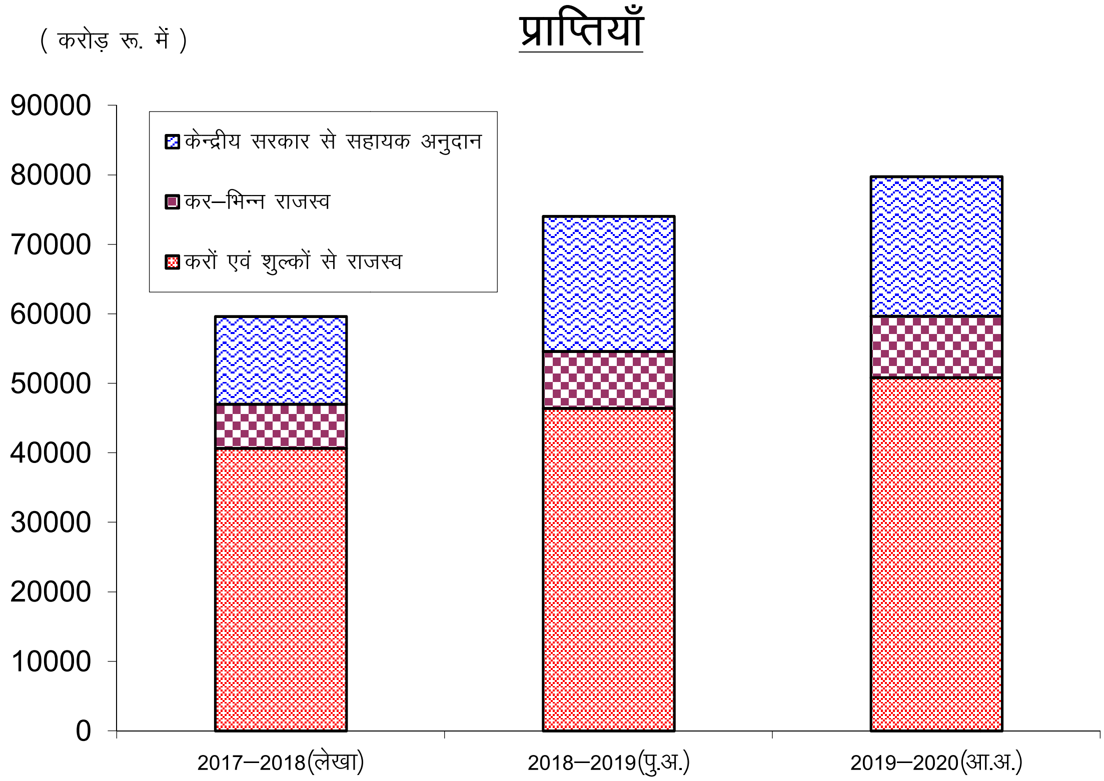

कुल राजस्व व्यय

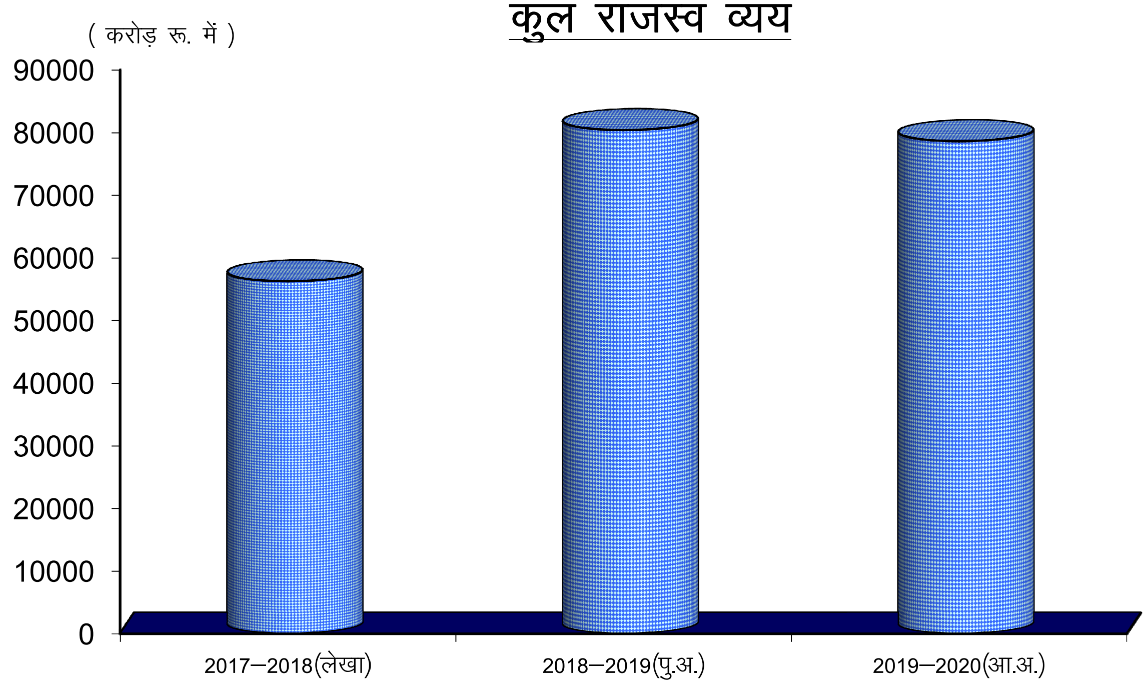

करों और शुल्कों से प्रमुख शीर्षवार राजस्व

वर्ष 2019–2020 की कुल 79746.00 करोड़ रूपयों की राजस्व प्राप्तियों में से 50847.00 करोड़ रूपये कर राजस्व द्वारा प्राप्त होना अनुमानित है, जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 63.76 प्रतिशत है। निम्न तालिका में कर राजस्व के प्रमुख शीर्षों का योगदान दर्शाया गया है :–

(करोड़ रूपयों में)

कर राजस्व के प्रमुख शीर्ष	2017–2018 (लेखा)	2018–2019 (पु.अ.)	2019–2020 (आ.अ.)
1	2	3	4
आय और व्यय पर कर	**11721.46**	**13177.39**	**15154.10**
1. निगम कर	6352.98	6990.86	8039.55
2. निगम कर से भिन्न आय पर कर	5364.62	6186.53	7114.55
3. होटल प्राप्ति कर	3.70	0.00	0.00
4. आय और व्यय पर अन्य कर	0.16	0.00	0.00
सम्पत्ति और पूँजीगत लेनदेनों पर कर	**1643.70**	**2209.77**	**2249.74**
1. भू–राजस्व	446.41	660.00	700.00
2. स्टाम्प और पंजीकरण	1197.48	1550.00	1550.00
3. धन पर कर	(–)0.19	(–)0.23	(–)0.26
वस्तुओं और सेवाओं पर कर	**27284.33**	**31028.33**	**33443.16**
1. केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	291.44	8012.87	9214.86
2. राज्य वस्तु एवं सेवा कर	4386.56	8272.62	8201.70
3. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	2094.36	663.43	762.95
4. सीमा शुल्क	2093.70	1226.67	1410.68
5. संघ उत्पाद शुल्क	2188.50	1195.36	1374.67
6. राज्य उत्पाद शुल्क	4054.00	4355.00	5000.00
7. बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	6449.60	3879.40	3788.30
8. वाहनों पर कर	1180.01	1500.00	1600.00
9. माल एवं यात्रियों पर कर	477.66	22.98	0.00
10.बिजली पर कर और शुल्क	1688.96	1900.00	2090.00
11. सेवा कर	2369.40	0.00	0.00
12. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	10.14	0.00	0.00
योग	**40649.49**	**46415.49**	**50847.00**

करों और शुल्कों से प्रमुख शीर्षवार राजस्व

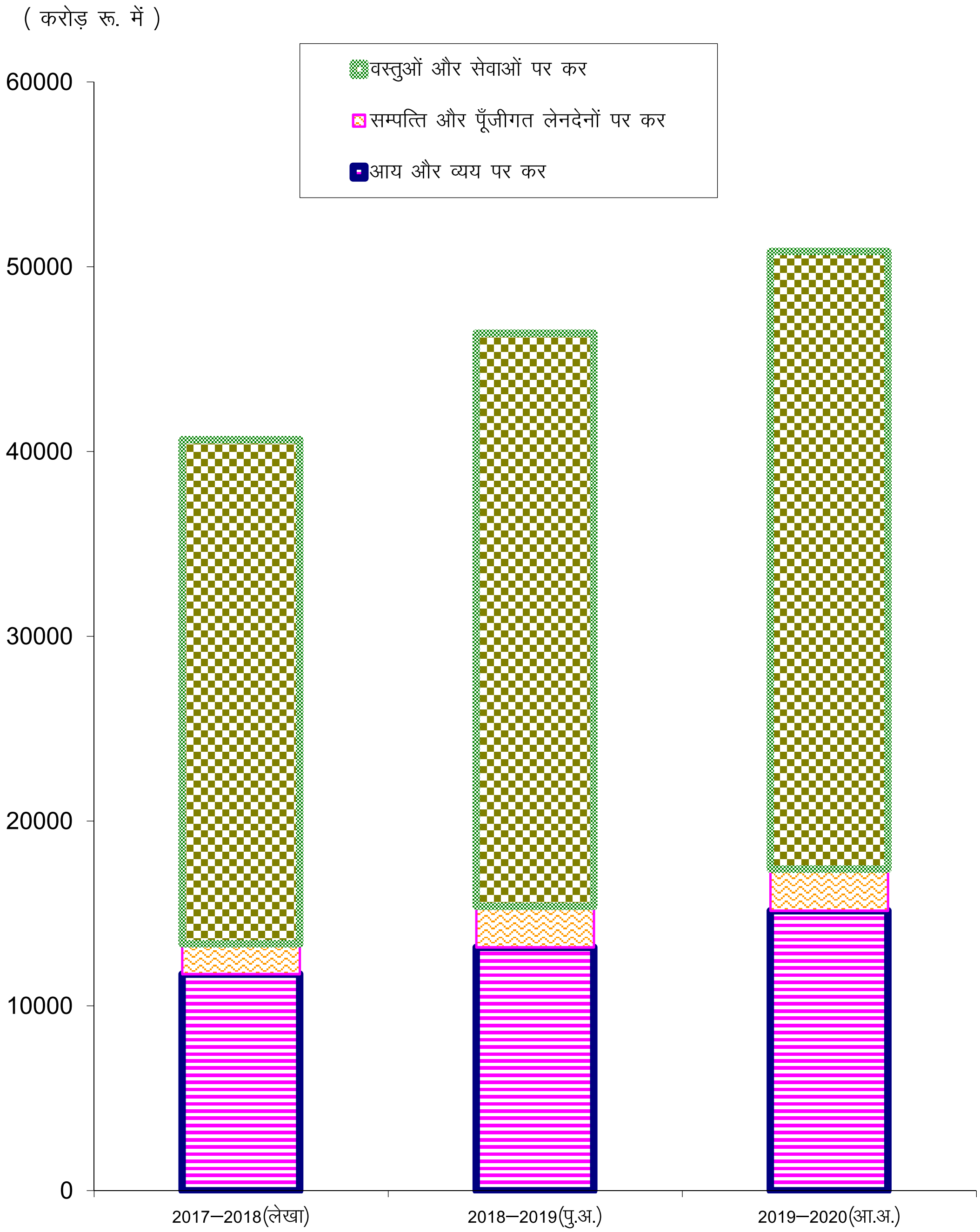

स्त्रोतवार कर–भिन्न राजस्व

निम्न तालिका में कर–भिन्न राजस्व के स्त्रोत दर्शाये गये हैं :–

(करोड़ रूपयों में)

कर–भिन्न राजस्व के स्त्रोत	2017–2018 (लेखा)	2018–2019 (पु.अ.)	2019–2020 (आ.अ.)
1	2	3	4
राजकोषीय सेवायें	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ	**185.24**	**188.71**	**127.38**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	180.44	187.71	126.83
2. लाभांश और लाभ	4.80	1.00	0.55
सामान्य सेवायें	**141.75**	**137.18**	**126.30**
1. पुलिस और जेलें	23.45	30.40	31.15
2. लोक निर्माण	54.29	56.13	50.00
3. अन्य	64.01	50.65	45.15
सामाजिक सेवायें	**154.62**	**164.02**	**162.00**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	17.15	21.09	21.20
2. चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जलपूर्ति और सफाई	60.61	48.88	49.80
3. आवास और नगर विकास	35.31	47.23	44.00
4. श्रम और रोजगार	20.61	22.25	22.40
5. अन्य	20.94	24.57	24.60
आर्थिक सेवायें	**5858.81**	**7710.09**	**8409.32**
1. कृषि कार्य, पशुपालन, डेयरी विकास, सहकारिता और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	35.99	35.51	36.49
2. वानिकी और वन्य जीवन	291.17	600.00	600.00
3. अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग तथा अन्य समस्त उद्योग	4926.82	6010.02	6510.52
4. सिंचाई (वृहद, मध्यम तथा लघु)	588.87	1050.00	1125.00
5. अन्य	15.96	14.56	137.31
योग	**6340.42**	**8200.00**	**8825.00**

स्त्रोतवार कर भिन्न राजस्व

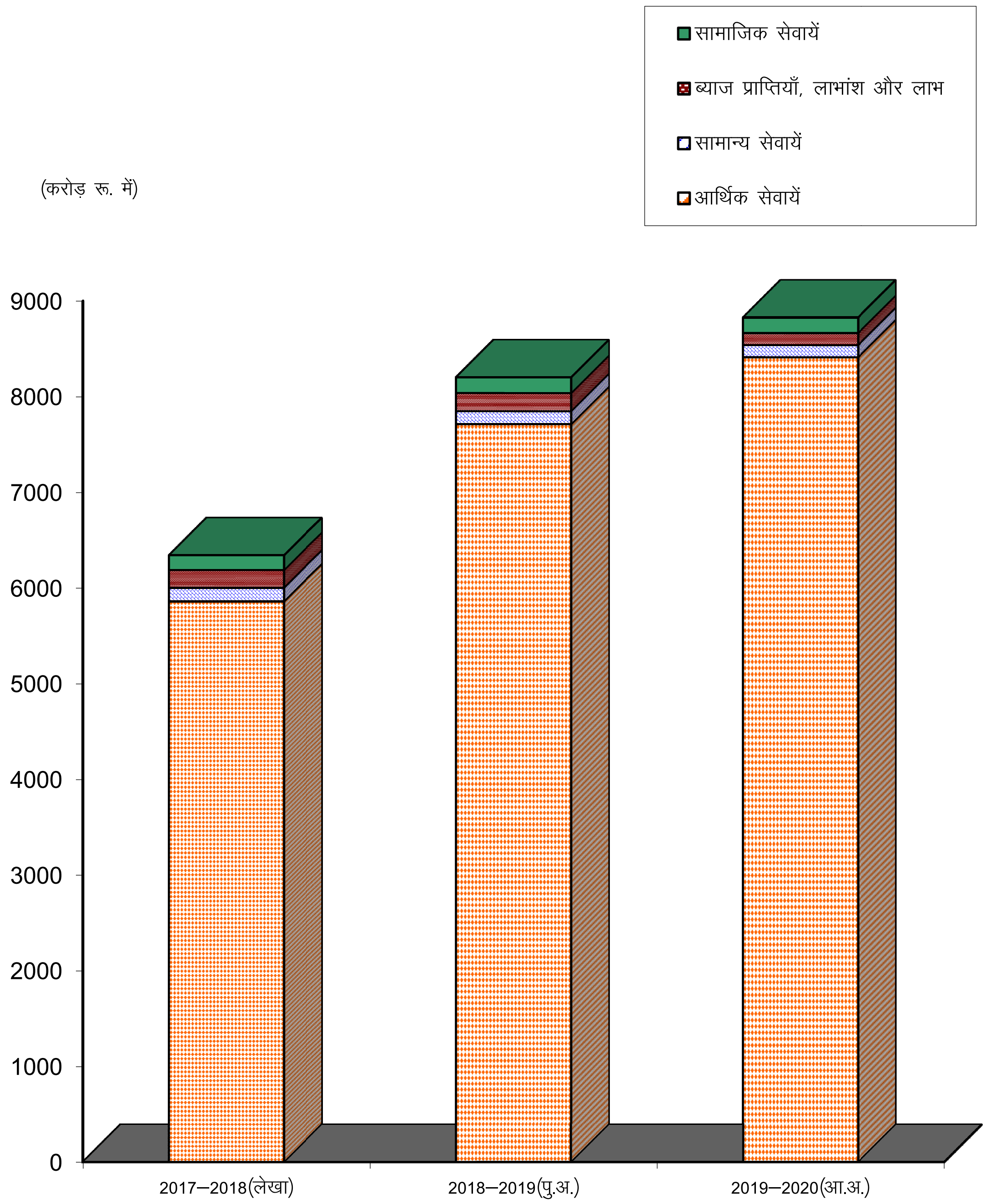

केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान

केन्द्रीय सरकार से राज्य को प्राप्त होने वाले सहायक अनुदान वर्ष 2019–2020 के कुल राजस्व प्राप्तियों का 25.17 प्रतिशत होंगे। निम्न तालिका में इन अनुदानों का विवरण दर्शाया गया है :–

(करोड़ रूपयों में)

केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान	2017–2018 (लेखा)	2018–2019 (पु.अ.)	2019–2020 (आ.अ.)
1	2	3	4
1. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाऐं	9275.77	13547.90	12731.24
2. वित्त आयोग अनुदान	1460.23	1793.09	2337.83
3. राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	1921.17	4072.01	5004.93
योग	**12657.17**	**19413.00**	**20074.00**

केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान

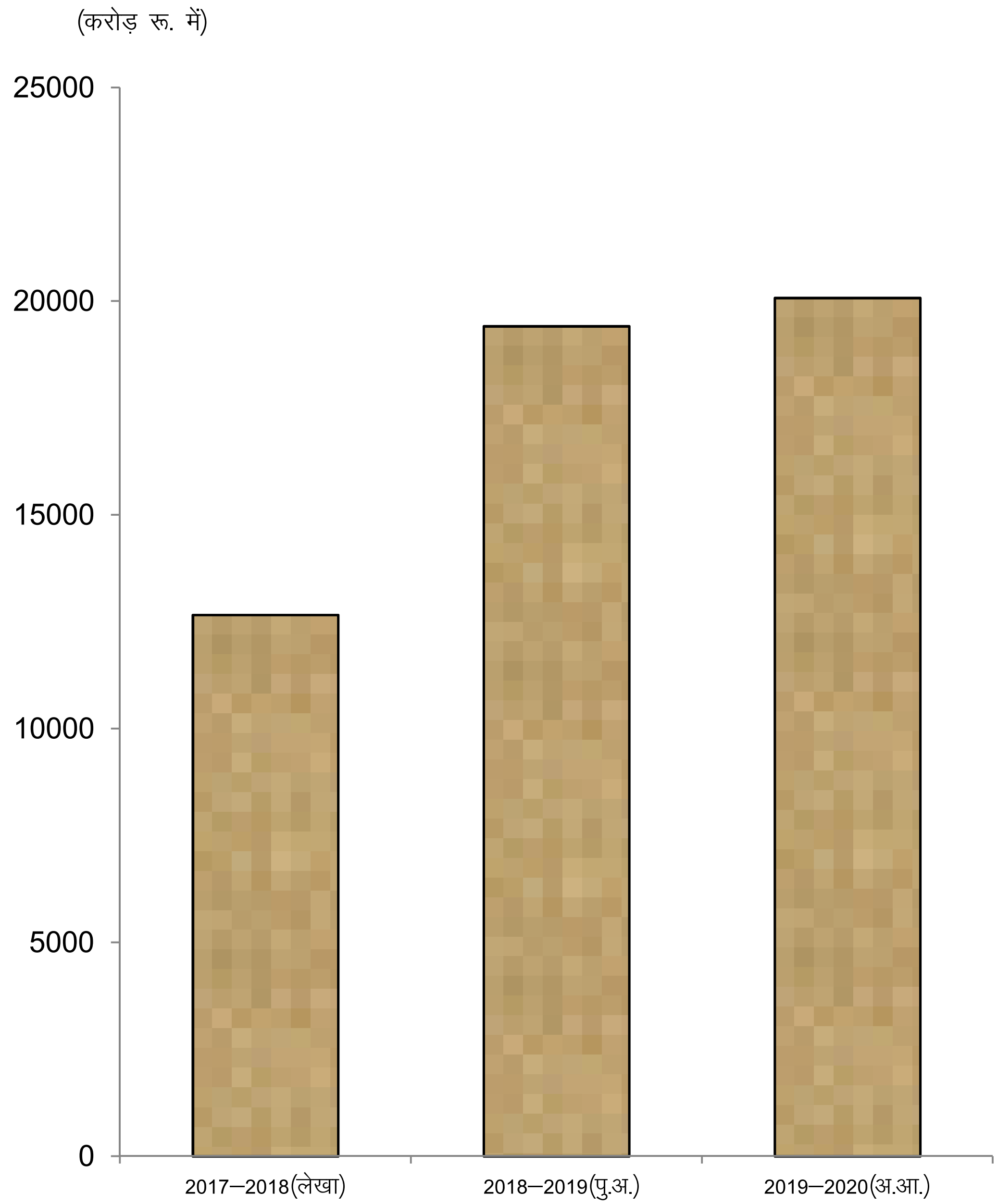

राजस्व लेखे पर प्रमुख शीर्षवार व्यय
(सामान्य सेवायें)

निम्न तालिका में राजस्व लेखे पर होने वाला व्यय, प्रमुख शीर्षों के अनुसार दर्शाया गया है :—

(करोड़ रूपयों में)

व्यय के शीर्ष	2017—2018 (लेखा)	2018—2019 (पु.अ.)	2019—2020 (आ.अ.)
1	2	3	4
क— सामान्य सेवायें			
1. राज्य के अंग	**371.14**	**721.12**	**886.09**
अ. राज्य विधान मंडल, राज्यपाल, मंत्री—परिषद् और निर्वाचन	135.43	369.46	490.45
आ. न्याय प्रशासन	235.71	351.66	395.64
2. राजकोषीय सेवायें	**1084.21**	**1214.79**	**1179.91**
अ. आय और व्यय पर करों का संग्रह	—	—	—
आ. सम्पत्ति और पूँजीगत	598.00	720.99	673.90
इ. पदार्थों सेवाओं	486.15	493.80	506.01
ई. अन्य राजकोषीय सेवायें	0.06	0.00	0.00
3. ब्याज संग्रह और ऋण परिशोधन व्यय	**3298.33**	**4108.09**	**4964.00**
अ. ऋण में कमी अथवा उससे बचाव के लिए विनियोग	200.00	220.00	265.00
आ. ब्याज संदाय	3098.33	3888.09	4699.00
4. प्रशासनिक सेवायें	**4192.13**	**5120.85**	**5562.48**
अ. सचिवालय—सामान्य सेवायें, जिला प्रशासन तथा राजकोष और लेखा प्रशासन	446.83	583.02	624.72
आ. पुलिस और जेलें	3207.50	4055.30	4425.74
इ. लेखन सामग्री और मुद्रण	8.37	16.67	21.70
ई. लोक निर्माण	360.07	243.33	261.52
उ. अन्य प्रशासनिक सेवायें	169.36	222.53	228.80
5. पेंशन और विविध सामान्य सेवायें	**3924.60**	**4628.93**	**4930.29**
योग — क	**12870.41**	**15793.78**	**17522.77**

क्रमशः

राजस्व लेखे पर प्रमुख शीर्षवार व्यय
(सामान्य सेवायें)

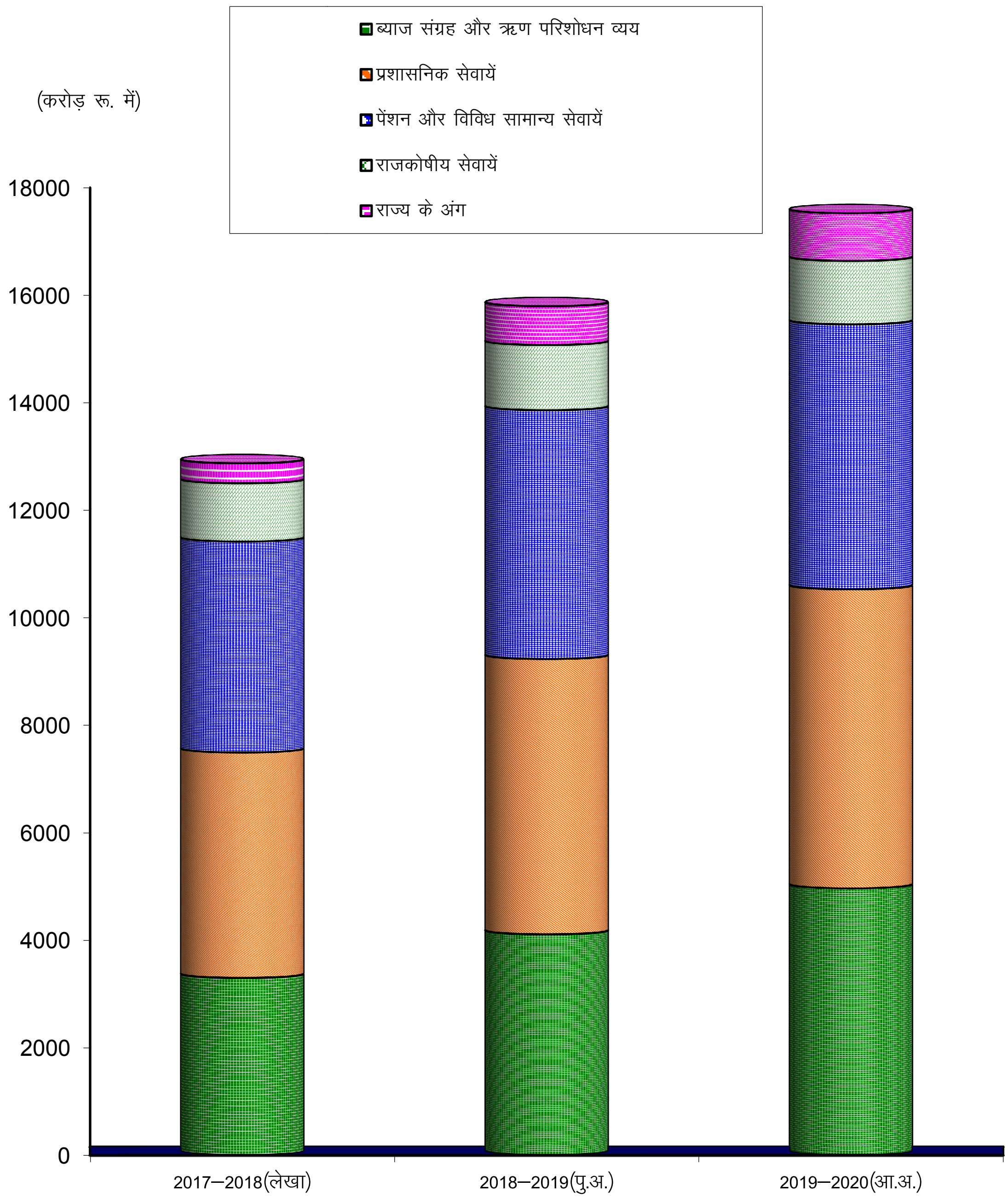

राजस्व लेखे पर प्रमुख शीर्षवार व्यय

(सामाजिक सेवायें)

(करोड़ रूपयों में)

व्यय के शीर्ष	2017—2018 (लेखा)	2018—2019 (पु.अ.)	2019—2020 (आ.अ.)
1	2	3	4
ख— सामाजिक सेवायें			
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	11844.56	15219.51	15605.91
2. चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606.70	4604.91	4354.10
3. जलपूर्ति और सफाई	1378.86	1215.65	854.70
4. आवास और शहरी विकास	4519.77	5523.52	3741.53
5. श्रम और रोजगार	255.00	407.28	440.07
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	176.15	308.83	320.22
7. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण एवं पोषाहार	2161.46	3092.54	3063.26
8. दैवी विपत्तियों आपदाओं के सम्बन्ध में राहत	260.26	329.52	344.00
9. सूचना और प्रसारण	145.31	299.88	172.53
10. अन्य	23.52	31.01	32.65
योग — ख	**24371.59**	**31032.65**	**28928.97**

क्रमशः

राजस्व लेखे पर प्रमुख शीर्षवार व्यय
(सामाजिक सेवायें)

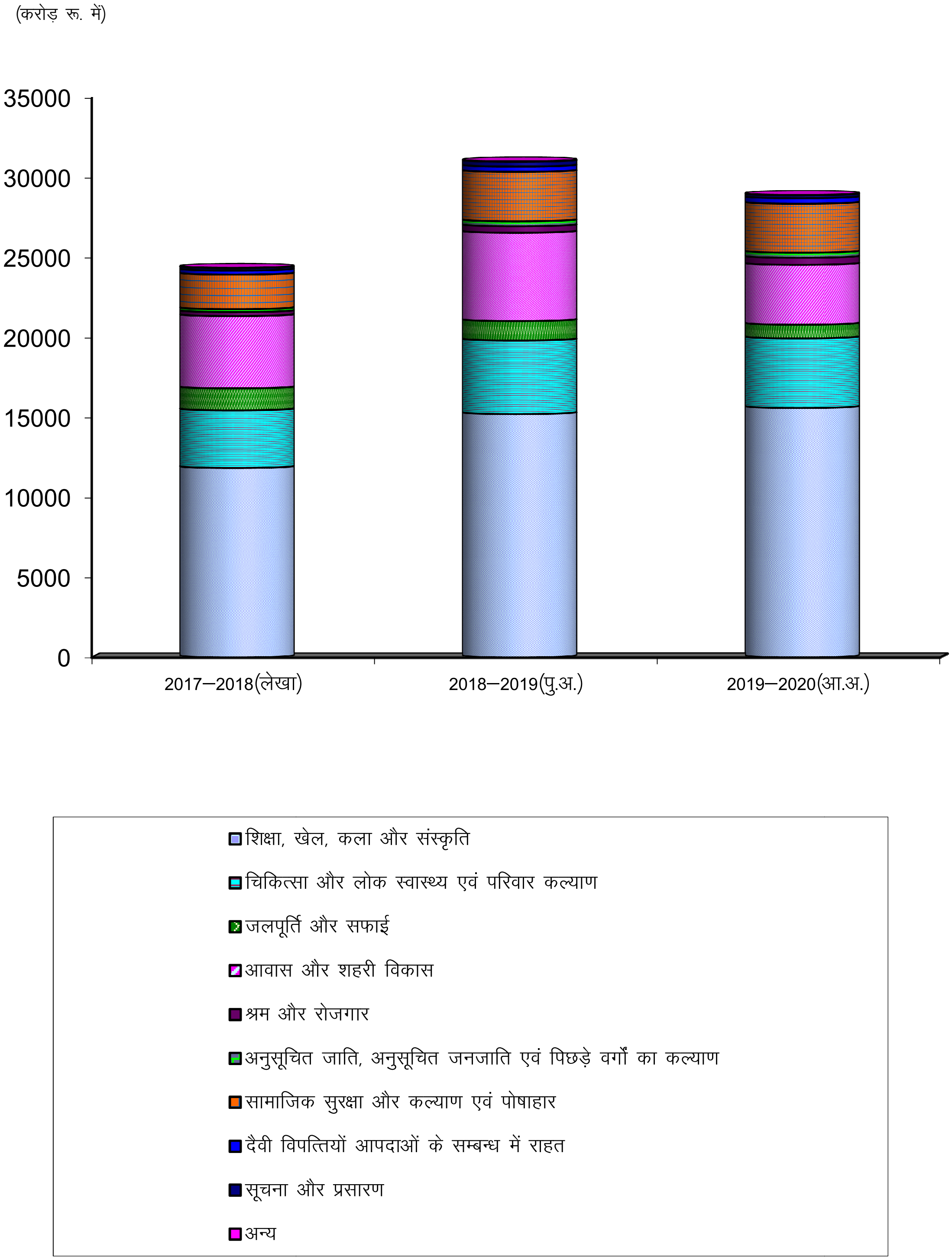

राजस्व लेखे पर प्रमुख शीर्षवार व्यय

(आर्थिक सेवायें)

(करोड़ रूपयों में)

व्यय के शीर्ष	2017–2018 (लेखा)	2018–2019 (पु.अ.)	2019–2020 (आ.अ.)
1	2	3	4
ग– आर्थिक सेवायें			
1. कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप	**8781.04**	**21615.86**	**20294.30**
अ. कृषि कार्य, पशुपालन,सहकारिता, भू–और जल संरक्षण तथा डेयरी विकास	4022.87	14010.65	9832.10
आ. वानिकी और वन्य जीवन	1162.09	1494.64	1471.52
इ. अन्य	3596.08	6110.57	8990.68
2. ग्रामीण विकास	**3695.50**	**3808.37**	**4521.50**
3. सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	**534.45**	**468.35**	**461.38**
अ. वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई	531.51	464.21	457.01
आ. कमान क्षेत्र विकास एवं बाढ़ नियंत्रण	2.94	4.14	4.37
4. उर्जा	**2635.19**	**3625.75**	**3343.34**
5. उद्योग और खनिज	**856.24**	**856.50**	**1072.16**
अ. उद्योग(ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग सहित)	379.61	468.92	488.05
आ. अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	476.63	387.58	584.11
6. परिवहन	**943.23**	**1815.35**	**1585.17**
अ. सड़कें और पुल	943.09	1815.06	1584.89
आ. अन्य	0.14	0.29	0.28
7. संचार	**62.18**	**88.56**	**121.17**
8. विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	**8.33**	**18.21**	**23.20**
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं	**106.93**	**96.16**	**100.25**
योग–ग	**17623.09**	**32393.11**	**31522.47**
घ–सहायक अनुदान और अंशदान, आदि	**1364.66**	**1150.51**	**620.32**
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति समनुदेशन	1364.66	1150.51	620.32
योग – क+ख+ग+घ	**56229.75**	**80370.05**	**78594.53**

राजस्व लेखे पर प्रमुख शीर्षवार व्यय
(आर्थिक सेवायें)

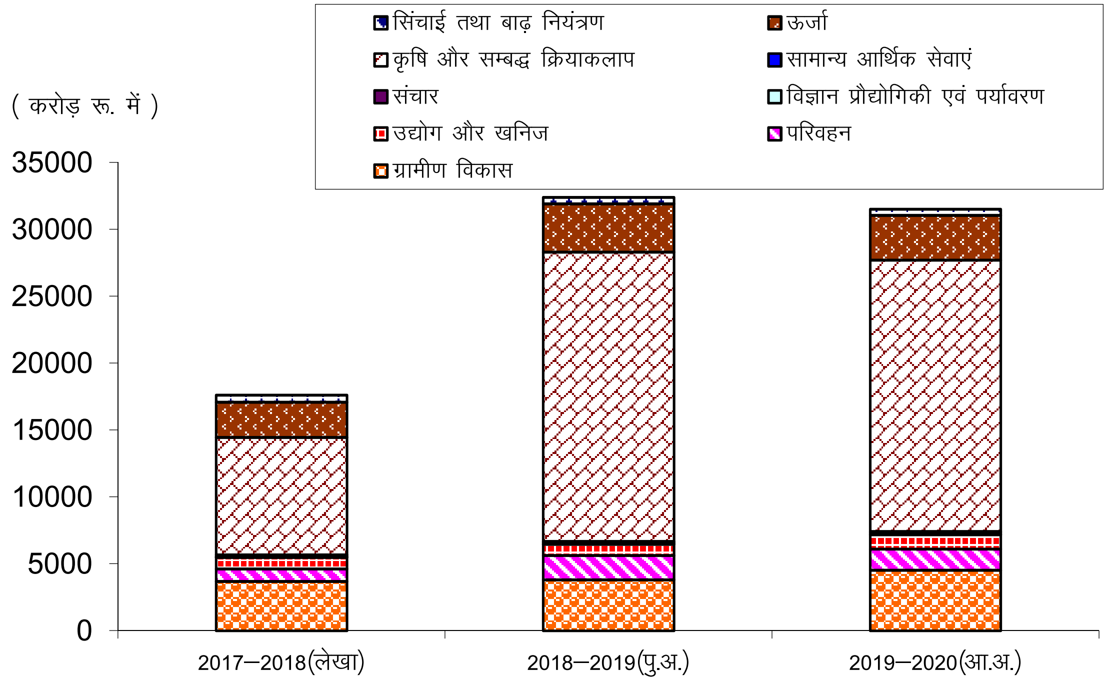

योग
(प्रतिशत में)

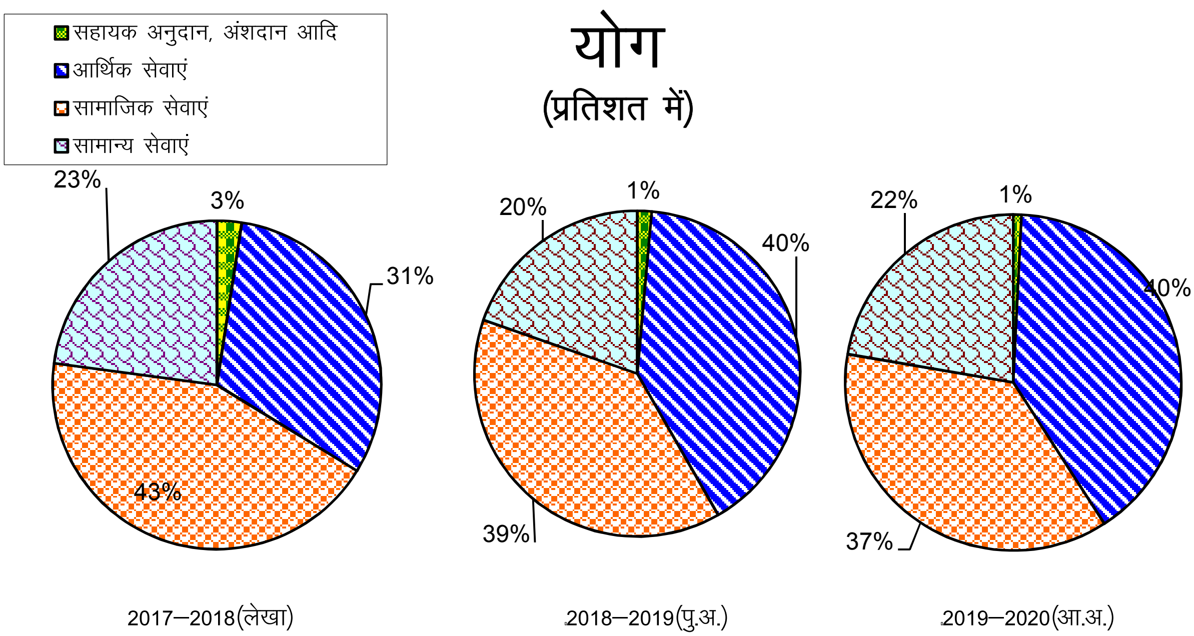

प्रमुख शीर्षवार पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय के अन्तर्गत राजस्व लेखे के बाहर होने वाला व्यय आता है, जिसकी पूर्ति प्रायः उधार ली गई राशि से की जाती है। निम्न तालिका में पूँजीगत व्यय के महत्वपूर्ण शीर्ष दर्शाये गये हैं :—

(करोड़ रूपयों में)

व्यय के शीर्ष	2017—2018 (लेखा)	2018—2019 (पु.अ.)	2019—2020 (आ.अ.)
1	2	3	4
क—सामान्य सेवायें	**303.33**	**389.81**	**457.16**
1.लोक निर्माण	228.27	304.05	380.92
2.अन्य	75.06	85.76	76.24
ख—सामाजिक सेवायें	**2651.78**	**3389.16**	**3313.10**
1.शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	667.69	896.39	794.23
2.स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	401.19	522.32	579.39
3.जलपूर्ति और सफाई	335.17	497.63	527.15
4.आवास और नगर विकास	759.60	850.92	835.69
5.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	387.91	520.21	504.90
6.सामाजिक सुरक्षा और कल्याण एवं पोषाहार	60.67	52.60	44.95
7.सूचना और प्रसारण	00.0	0.05	0.05
8.अन्य	39.55	49.04	26.74
ग—आर्थिक सेवायें	**7045.85**	**8509.05**	**8339.35**
1.कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप	84.26	184.55	157.75
2.ग्रामीण विकास	655.52	569.32	606.77
3.सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1678.71	2112.26	2280.33
4.उर्जा	824.81	625.89	611.66
5.उद्योग और खनिज	64.77	66.86	67.60
6.परिवहन	3732.00	4100.47	4572.71
7.सामान्य आर्थिक सेवायें	4.00	31.70	32.70
8.विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	0.00	4.00	2.00
9.संचार	1.78	814.00	7.83
योग — क+ख+ग	**10000.96**	**12288.02**	**12109.61**

प्रमुख शीर्षवार पूँजीगत व्यय

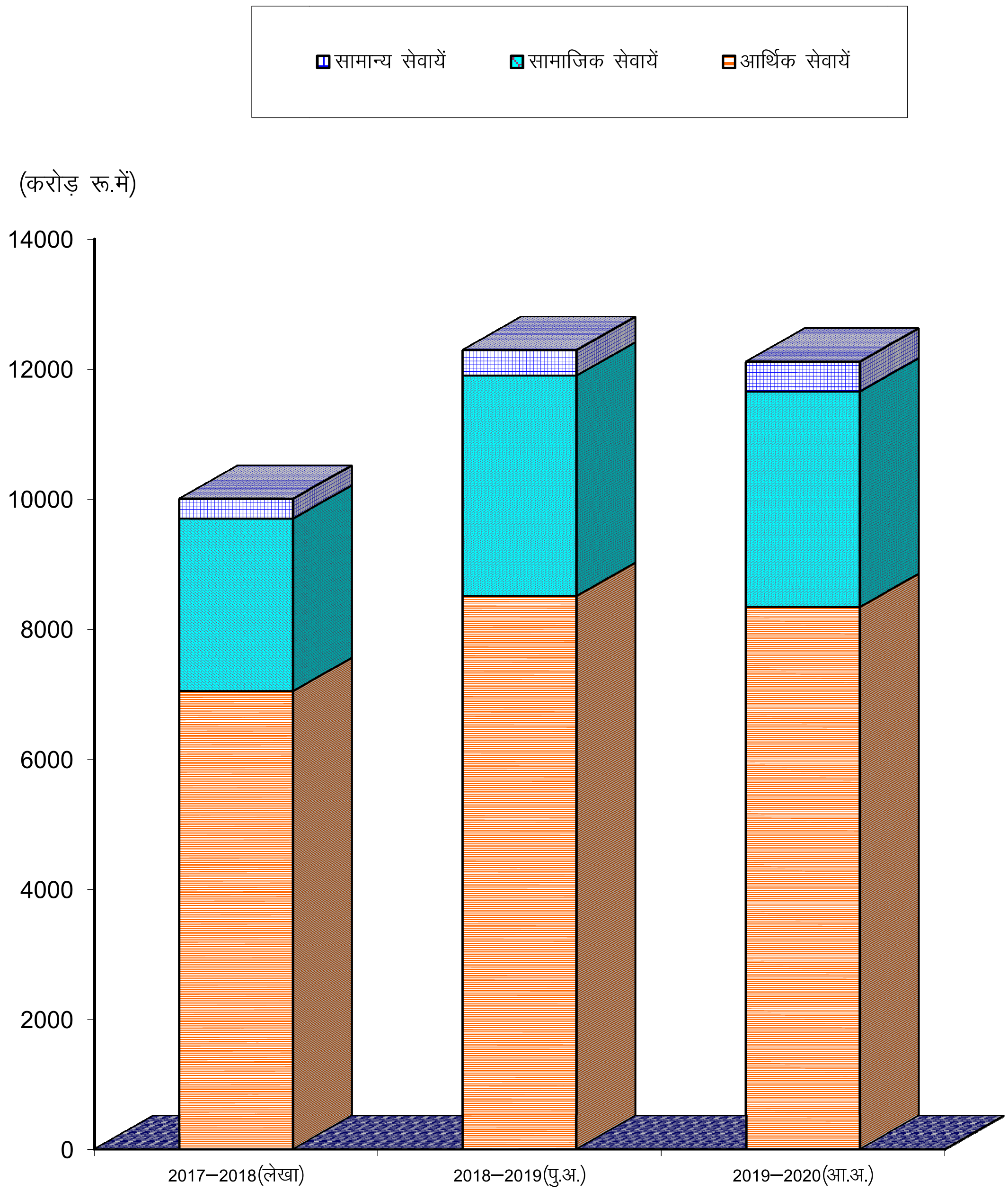

राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम

पूँजीगत व्यय के साथ ही, जिसका उल्लेख किया जा चुका है, राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार कृषकों, स्थानीय निकायों, औद्योगिक संस्थाओं, शासकीय कर्मचारियों व गैर शासकीय पक्षों को ऋण तथा अग्रिम राशि दिया करती है। वर्ष 2019–2020 के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त किये जाने वाले ऋण तथा अग्रिम की स्थिति को निम्न तालिका दर्शाती है :–

(करोड़ रूपयों में)

राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	2017–2018 (लेखा)	2018–2019 (पु.अ.)	2019–2020 (आ.अ.)
1	2	3	4
संवितरण	369.83	350.71	205.46
योग	**369.83**	**350.71**	**205.46**
प्राप्तियाँ	**139.83**	**212.00**	**283.00**
शुद्ध ऋण तथा अग्रिम	**(–)230.00**	**(–)138.71**	**77.54**

राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम

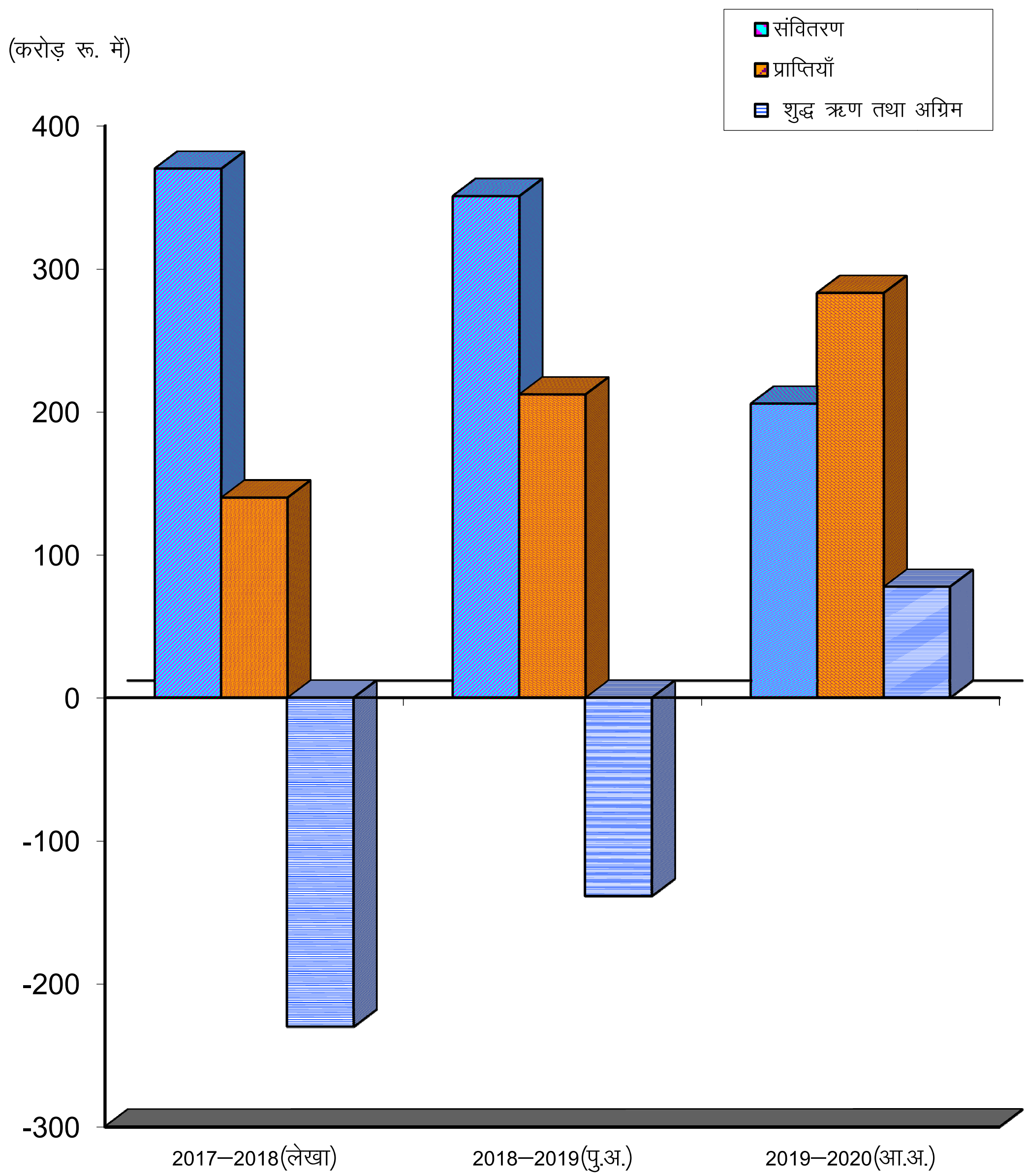

नवीन व्यय

वर्ष 2019–2020 के आय–व्ययक में सम्मिलित किये गये नवीन व्यय के मद निम्न प्रकार हैं :–

(करोड़ रूपयों में)

व्यय के मद	**बजट प्रावधान**
1	2
राजस्व लेखा	4756.02
पूँजीगत लेखा	2072.05
योग	**6828.07**

वर्ष 2019–2020 में राज्य सरकार के कुल व्यय 91542.25 करोड़ रूपयों में नवीन व्यय 6828.07 करोड़ रूपया है, जो कुल व्यय का 7.46 प्रतिशत है। नवीन व्यय में 69.65 प्रतिशत राजस्व लेखा तथा 30.35 प्रतिशत पूँजीगत लेखा के लिये निर्धारित है।

नवीन व्यय 2019–2020 (आ.अ.)

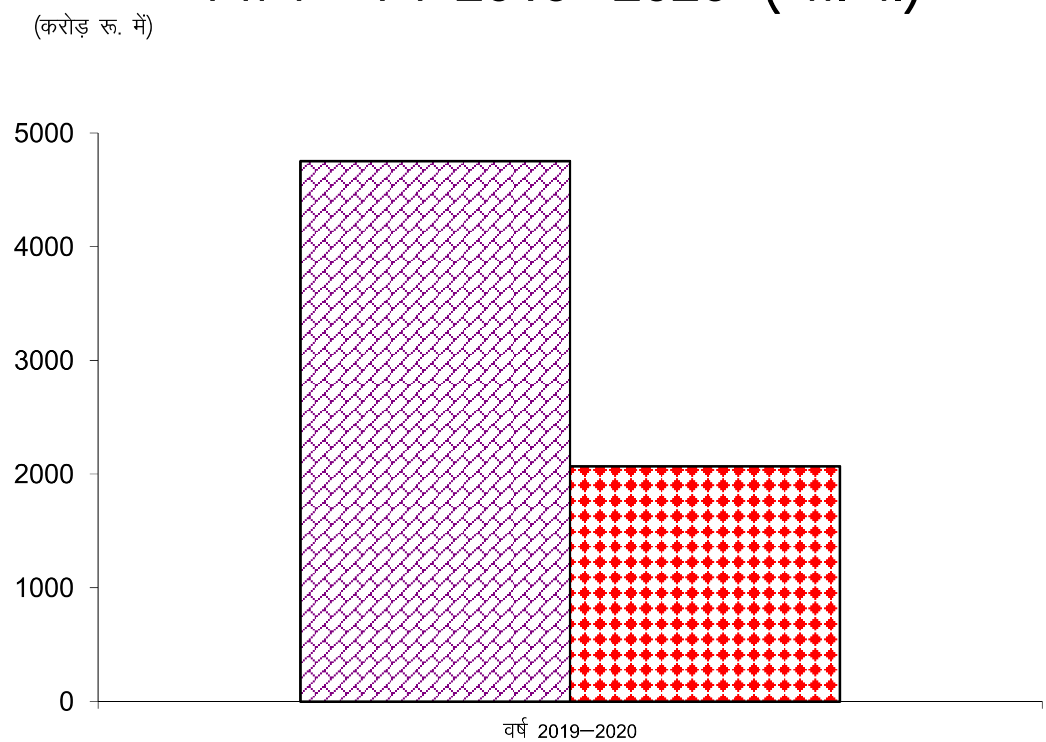

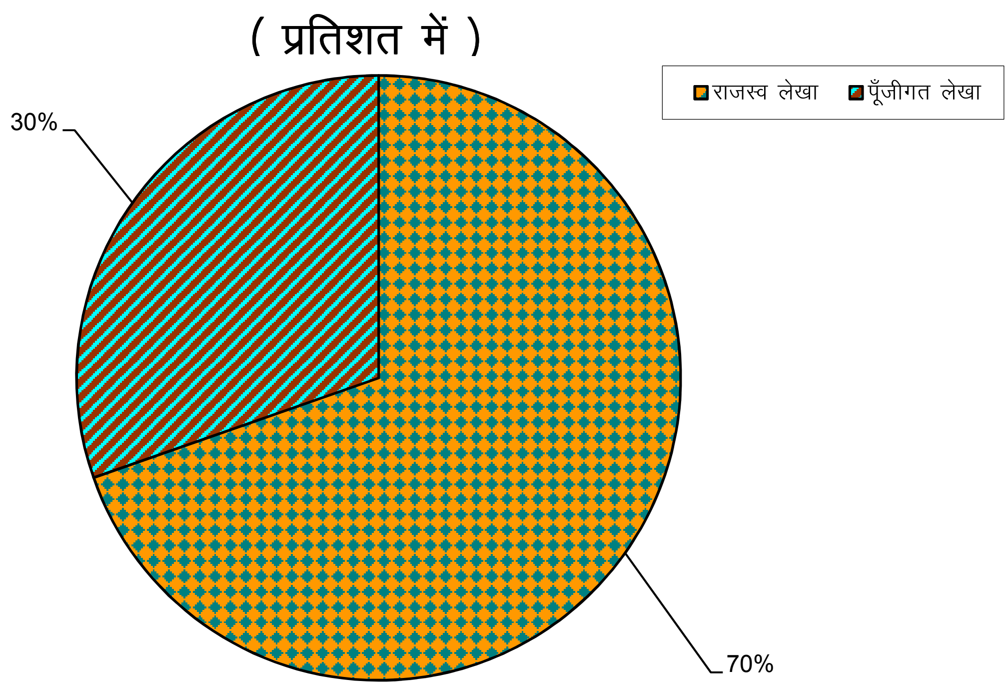

लोक ऋण

राज्य सरकार के लिए ऋण का प्रमुख साधन केन्द्रीय सरकार है। केन्द्रीय सरकार द्वारा ये ऋण, योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले भारी पूँजीगत व्यय की पूर्ति हेतु दिये जाते हैं। योजना के कारण बढ़ते हुए व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार को खुले बाजार से भी ऋण प्राप्त करना पड़ता है। प्राप्तियाँ एवं व्यय की कमी के संतुलन हेतु यदा–कदा शासन को अल्पकालीन ऋणों का प्रसार तथा सरकारी हुंडियाँ भी जारी करना आवश्यक होता है। निम्नांकित तालिका में वर्ष 2017–2018, 2018–2019 तथा 2019–2020 के लोक ऋण की विस्तृत जानकारी दी गई है :–

(करोड़ रूपयों में)

शीर्ष	लिये गये ऋण	चुकाये गये ऋण	शुद्ध लोक ऋण (+) या (–)
1	2	3	4
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
2017–2018 (लेखा)	9187.90	827.73	8360.17
2018–2019 (पु.अ.)	13925.03	1901.98	12023.05
2019–2020 (आ.अ.)	13219.75	2745.11	10474.64
केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम			
2017–2018 (लेखा)	464.55	172.15	292.40
2018–2019 (पु.अ.)	600.00	161.39	438.61
2019–2020 (आ.अ.)	600.00	161.39	438.61
कुल लोक ऋण			
2017–2018 (लेखा)	9652.45	999.88	8652.57
2018–2019 (पु.अ.)	14525.03	2063.37	12461.66
2019–2020 (आ.अ.)	13819.75	2906.50	10913.25

लोक ऋण 2019—2020 (आ.अ.)

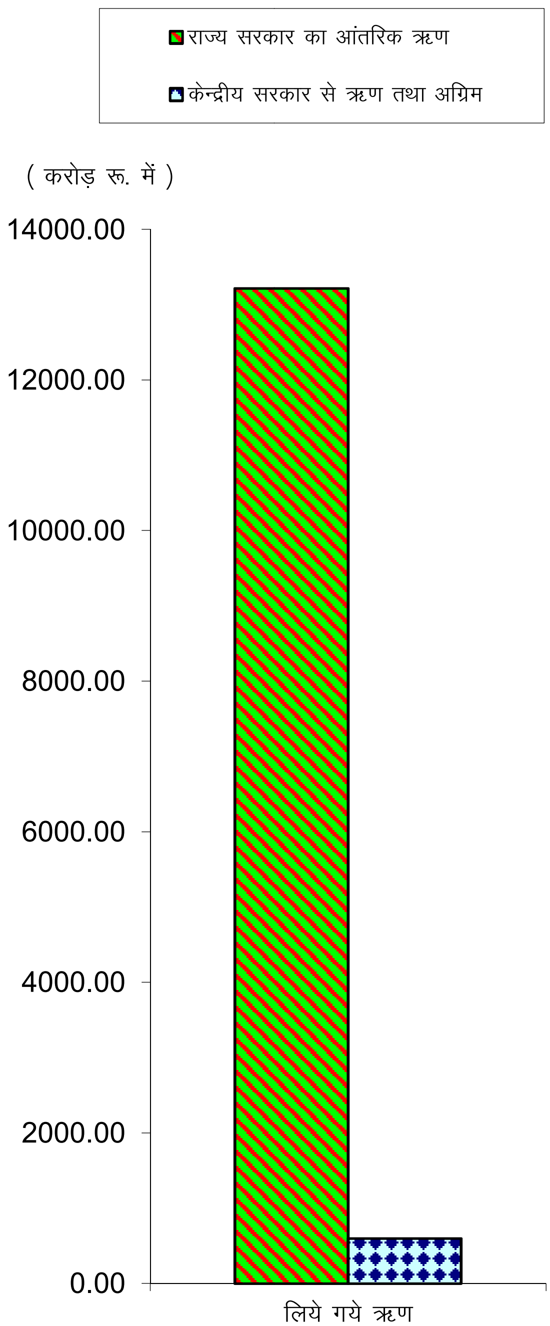

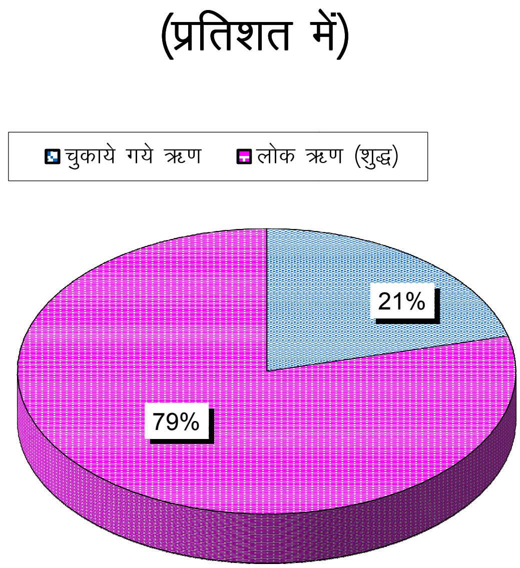

लोक लेखा

लोक लेखा में वर्ष 2017–2018 (लेखा) के (–) 1543.82 करोड़ रूपयों तथा वर्ष 2018–2019 (पु.अ.) के 325.00 करोड़ रूपयों की तुलना में वर्ष 2019–2020 (आ.अ.) में निधि निक्षेप व प्रेषण लेन–देन द्वारा 600.00 करोड़ रूपयों की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित की गई हैं। इन शुद्ध प्राप्तियों के घटक अंश संक्षेप में नीचे दर्शाये गये हैं :–

(करोड़ रूपयों में)

निधि निक्षेप व प्रेषण लेन देन (शुद्ध प्राप्तियाँ)	2017–2018 (लेखा)	2018–2019 (पु.अ.)	2019–2020 (आ.अ.)
1	2	3	4
1. भविष्य निधियाँ, आदि	640.61	585.00	611.50
2. आरक्षित निधियाँ	(–)765.14	22.00	22.00
3. जमा तथा अग्रिम	120.95	(–)102.00	(–)33.50
4. उचन्त और विविध	(–)1611.16	(–)180.00	0.00
5. प्रेषण	70.92	0.00	0.00
योग	**(–)1543.82**	**325.00**	**600.00**

लोक लेखा
(शुद्ध प्राप्तियाँ)

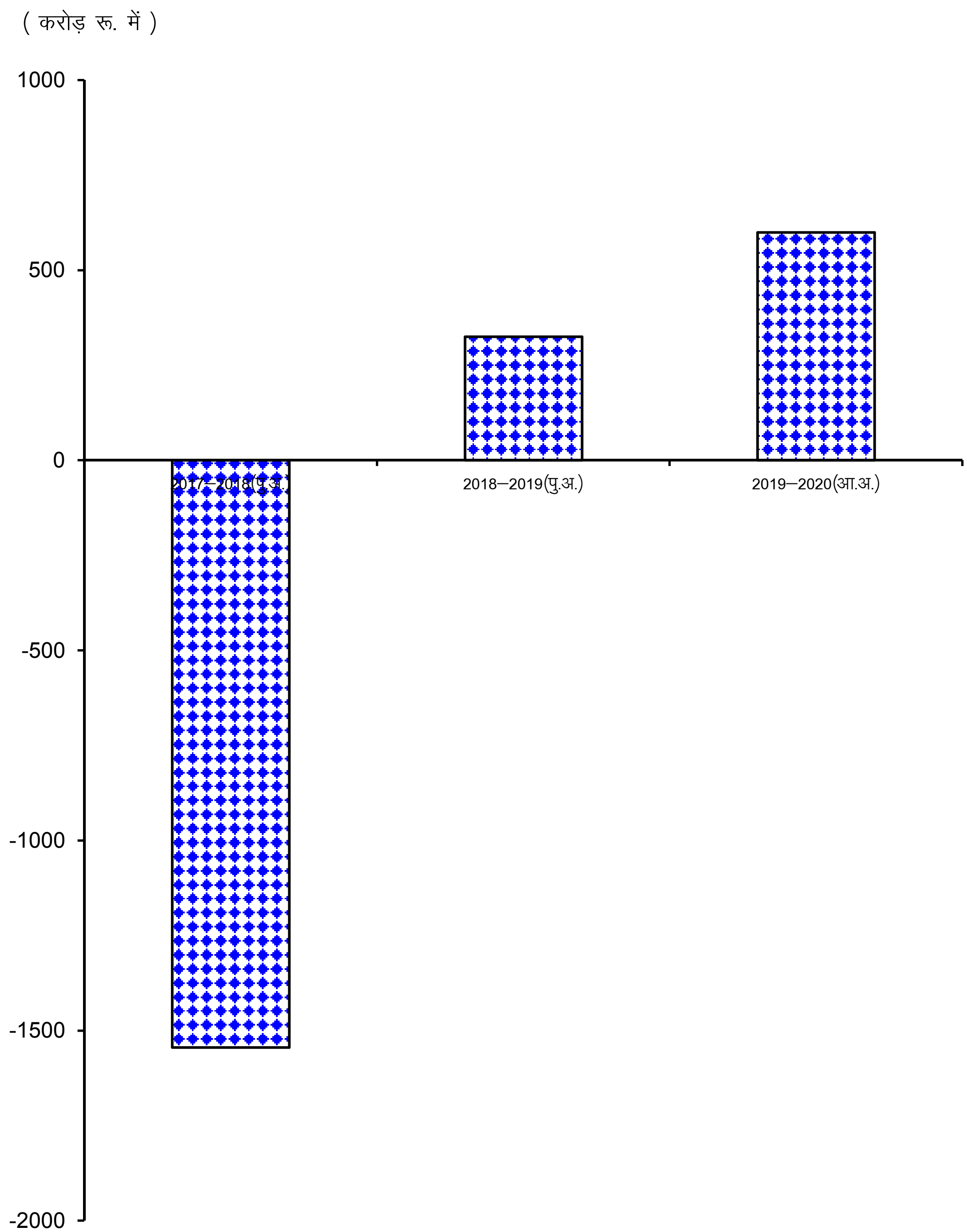

शुद्ध लेन–देन के परिणाम

वर्ष 2019–2020, (–) 5344.02 करोड़ रूपयों की राशि से प्रारम्भ होगा। राजस्व लेखे के लेन–देन से 1151.47 करोड़ रूपयों का राजस्व शेष होने की संभावना है। यह वर्ष (–) 4711.37 करोड़ रूपयों की राशि से समाप्त होगा। निम्न तालिका में राज्य सरकार की शुद्ध वित्तीय स्थिति दर्शायी गई है :–

(करोड़ रूपयों में)

शुद्ध लेन–देन	2017–2018 (लेखा)		2018–2019 (पु.अ.)		2019–2020 (आ.अ.)	
1	2		3		4	
क. प्रारम्भिक शेष	(+)	**339.17**	(+)	**637.61**	(–)	**5344.02**
ख. संचित निधि :						
1. राजस्व प्राप्तियाँ	(+)	59647.08	(+)	74028.49	(+)	79746.00
2. राजस्व लेखे पर व्यय	(–)	56229.75	(–)	80370.05	(–)	78594.53
3. पूँजीगत प्राप्तियाँ	(+)	3.32		0.00		0.00
4. पूँजीगत व्यय	(–)	10000.96	(–)	12288.02	(–)	12109.61
5. लोक ऋण (शुद्ध)	(+)	8652.57	(+)	12461.66	(+)	10913.25
6. राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम (शुद्ध)	(–)	230.00	(–)	138.71	(+)	77.54
7. आकस्मिकता निधि में विनियोजन		0.00		0.00		0.00
शुद्ध संचित–निधि	(+)	**1842.26**	(–)	**6306.63**	(+)	**32.65**
ग. आकस्मिकता निधि (शुद्ध)		**0.00**		**0.00**		**0.00**
घ. लोक लेखा (शुद्ध)	(–)	**1543.82**	(+)	**325.00**	(+)	**600.00**
वर्ष के शुद्ध लेन–देन	(+)	298.44	(–)	5981.63	(+)	632.65
ड. अंतिम शेष	(+)	**637.61**	(–)	**5344.02**	(–)	**4711.37**

अर्थोपाय स्थिति – एक दृष्टि में
2019–2020 (आ.अ.)

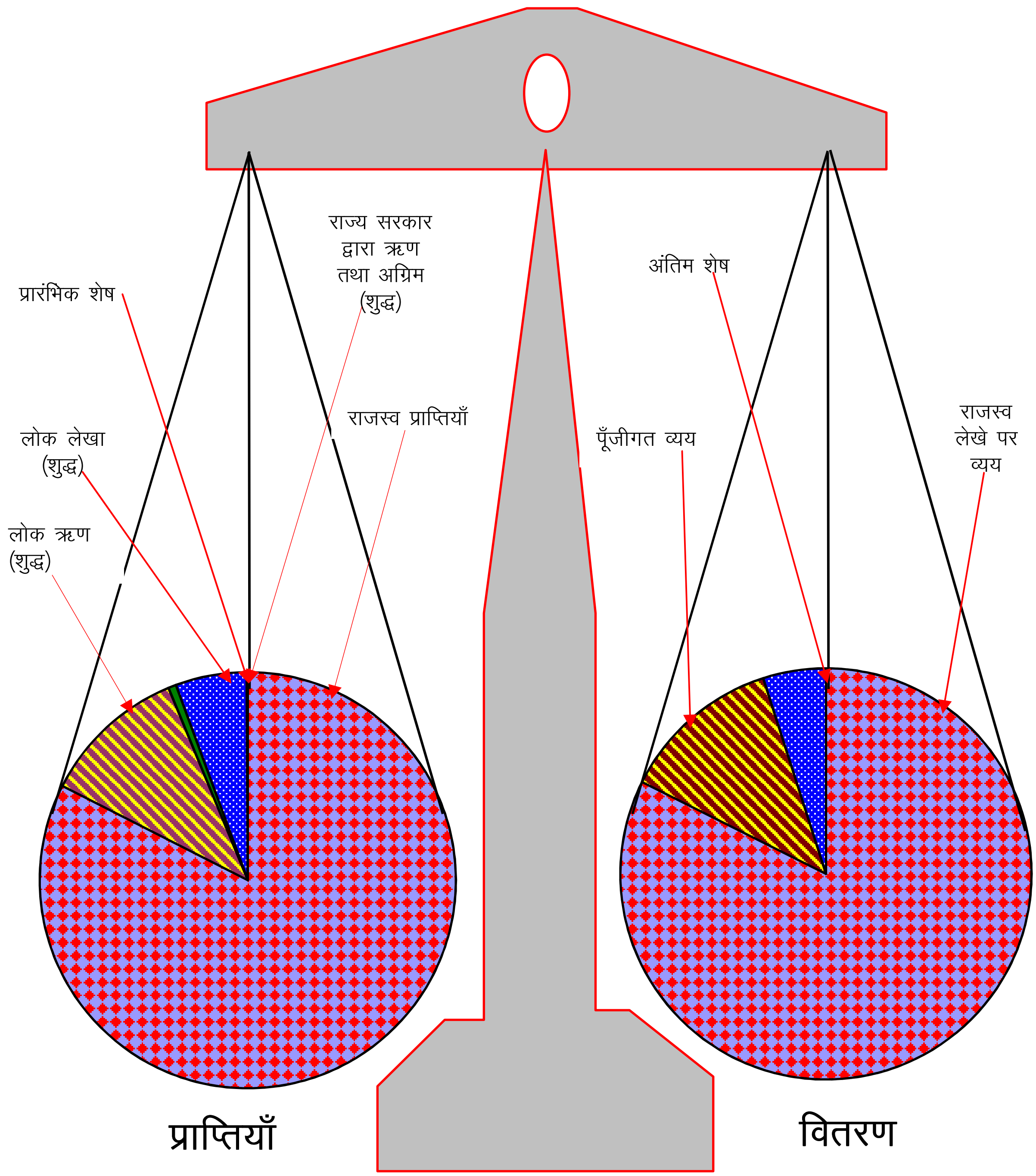

शासकीय प्रतिभूतियों में वित्तीय विनियोजन

(अ) म.प्र. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 42 के तहत अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य की आरक्षित निधियाँ जिनका विनिधान सरकारी लेखे से बाहर किया गया है, का प्रावधिक प्रभाजन किया गया है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के हिस्से की शासकीय प्रतिभूति (Securities) निम्नानुसार है :–

(करोड़ रूपयों में)

विवरण	राशि
1	2
शासकीय प्रतिभूतियाँ :	
1. अकाल राहत निधि विनिवेश लेखा	0.00
2. राजस्व आरक्षित निधि विनिवेश लेखा	0.47
3. कृषि हेतु विकास निधि से विनिवेश लेखा	0.00
4. अन्य निधि विनिवेश लेखा	0.00
5. रोकड़ शेष विनिवेश लेखा	0.00
योग (अ)	**0.47**
(ब). संचित शोधन निधि (दिनांक 31–12–2018 की स्थिति में राज्य शासन द्वारा निधि में निवेशित राशि)	2046.94
योग (ब)	**2046.94**
कुल योग (अ + ब)	**2047.41**

शासकीय प्रतिभूतियों में वित्तीय विनियोजन

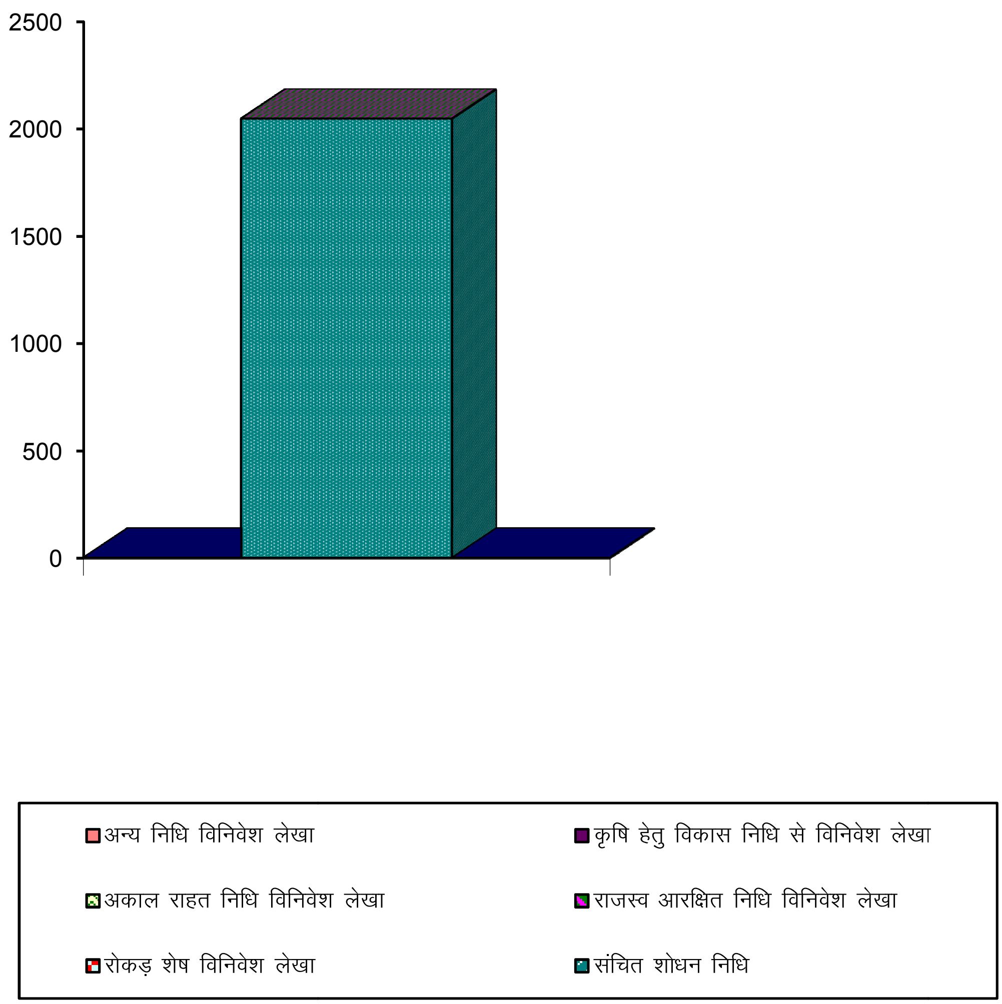

शासकीय प्रत्याभूतियाँ

(अ) म.प्र. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 52 (अ) तथा (ब) के तहत जिन प्रत्याभूतियों का प्राविधिक प्रभाजन किया गया है, उसके अनुसार राज्य शासन के हिस्से की प्रत्याभूति की अदेयता दिसम्बर, 2018 की स्थिति में निम्नानुसार है :–

(करोड़ रूपयों में)

विवरण	राशि
1	2
1. छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (वित्त निगम प्रकोष्ठ)	*
योग (अ)	**0.00**

* वर्ष 2000–2001 के अप्रभाजित पूँजीगत व्यय,ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा एवं गारंटी का मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य राशियों के प्रभाजन के संबंध में दोनों राज्यों के प्रधान महालेखाकारों एवं राज्य शासन की सहमती अनुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम की लम्बित गारंटी राशि मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित होने के कारण इसे मध्यप्रदेश राज्य के हिस्से में ही प्रभाजित किया गया है। अतः छत्तीसगढ़ शासन के बजट अनुमान वर्ष 2019–20 खण्ड–5(स) में पूर्व दर्शित लम्बित प्रतिभूतियों को विलोपित किया जाता है।

(ब) राज्य निर्माण के पश्चात् राज्य शासन द्वारा जिन संस्थाओं के पक्ष में प्रत्याभूति दी गई है, उनकी दिसम्बर, 2018 की स्थिति में अदेयता निम्नानुसार है :–

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	0.00
2. लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना पण्डरिया	84.25
3. नगर निगम, नगर पालिकाओं तथा विकास प्राधिकरणों के पक्ष में	18.67
4. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अनु.जाति एवं वित्त विकास निगम	0.28
5. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम	84.02
6. छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम	24.00
7. छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनियां	2001.25
8. छत्तीसगढ़ राज्य सहाकारी विपणन संघ	7200.00
9. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल	711.13
10.छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन	324.59
11. छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	896.22
12. डी.के.एस. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिटुयुट एवं रिचर्स सेन्टर	63.95
योग (ब)	**11408.36**
कुल योग (अ+ब)	**11408.36**

शासकीय प्रत्याभूतियाँ

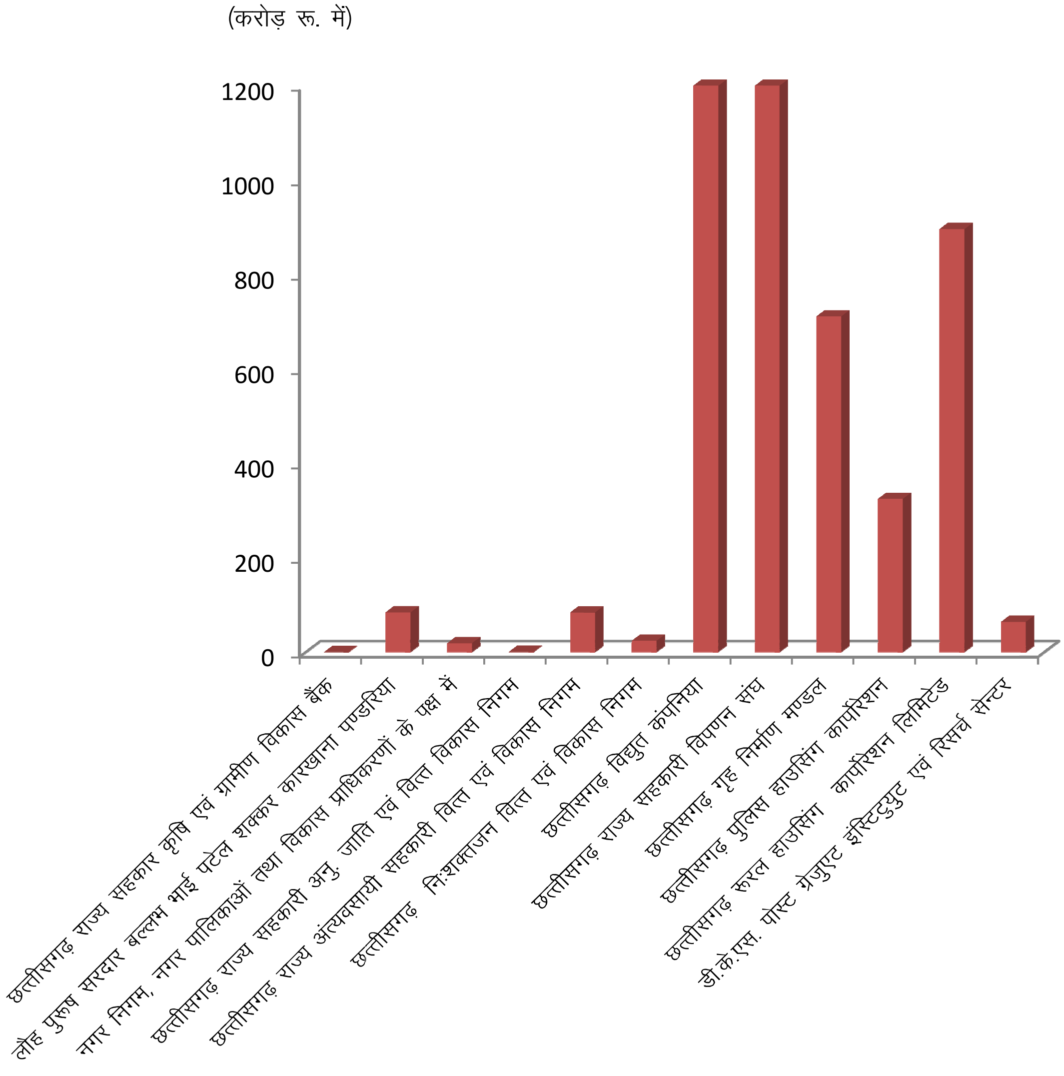

वर्ष 2019–2020 के लिए परिव्यय

वर्ष 2019–2020 के लिए परिव्यय 50004.32 करोड़ रूपयों का है। निम्न तालिका में विकास के विविध शीर्षों पर योजना परिव्यय का विभाजन दर्शाया गया है :–

विकास के शीर्ष	प्रस्तावित परिव्यय (करोड़ रूपयों में)	प्रस्तावित परिव्यय (प्रतिशत में)
1	2	3
1. कृषि तथा सम्बद्ध सेवायें	17298.15	34.59
2. ग्रामीण विकास	995.62	1.99
3. विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	400.00	0.80
4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2444.86	4.89
5. उर्जा	3954.95	7.91
6. उद्योग एवं खनिज	682.82	1.37
7. परिवहन	3917.87	7.84
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	725.92	1.45
9. सामान्य आर्थिक सेवायें	245.55	0.49
10.सामाजिक सेवायें	19016.02	38.03
11. सामान्य सेवायें	322.56	0.64
योग	**50004.32**	**100.00**

उक्त योजना परिव्यय में संस्थाओं द्वारा स्वंय के संसाधनों से तथा विभिन्न उपकर निधियों से व्यय की जाने वाली धनराशि सम्मिलित है।

वर्ष 2019–2020 के लिए परिव्यय
(प्रतिशत में)

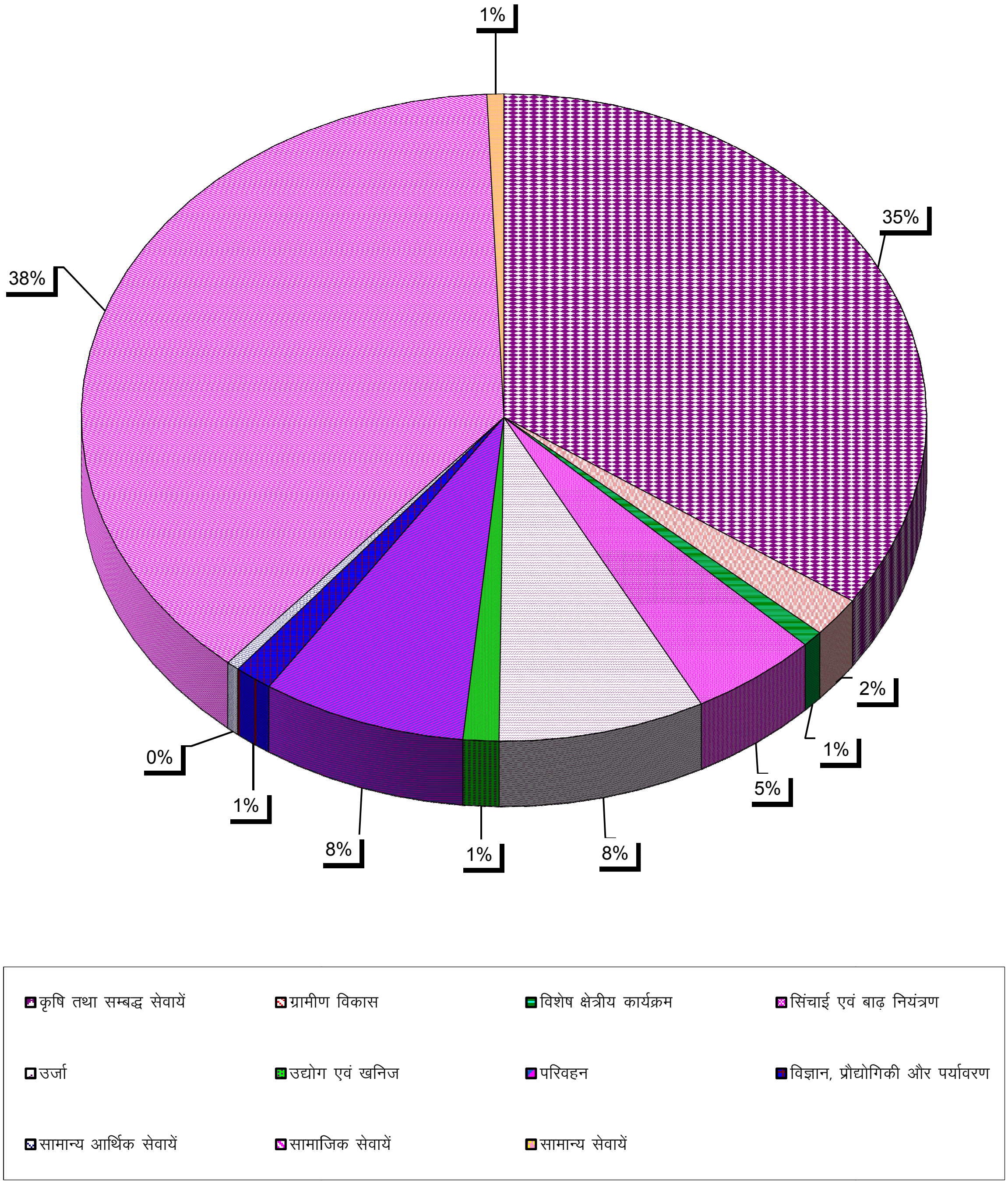

वर्ष 2019–2020 के लिए व्यय हेतु संसाधन

वर्ष 2019–2020 के आय–व्ययक अनुमानों में व्यय हेतु 90909.60 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इन अनुमानों के अनुसार उपलब्ध होने वाले सम्भावित व्यय हेतु संसाधनों की राशि 91542.25 करोड़ रूपये है, जिससे 632.65 करोड़ रूपये का सुधार होगा। प्रारम्भिक शेष में (–) 5344.02 करोड़ रूपये होने के कारण आय–व्ययक (–) 4711.37 करोड़ रूपये से समाप्त होगा। राज्य के संसाधनों की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

(करोड़ रूपयों में)

मद	राशि
1	2
1– राज्य का राजस्व	31755.00
2– केन्द्र से प्राप्तियाँ	47991.00
3– उधार एवं अग्रिम की वसूली	283.00
4– विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00
5– शुद्ध बाजार ऋण	10226.04
6– शुद्ध नाबार्ड ऋण	539.99
7– अन्य ऋण (शुद्ध)	(–)291.39
8– केन्द्र सरकार से उधार एवं अग्रिम (शुद्ध)	438.61
9– लोक लेखें से शुद्ध प्राप्तियाँ	600.00
योग	**91542.25**

वर्ष 2019–2020 के लिए व्यय हेतु संसाधन

(करोड़ रू. में)